**बिहार सरकार**
**जल संसाधन विभाग ।**

## आदेश

आदेश संख्या–1/पी0एम0सी0/विविध/879/2012–201 /पटना, दिनांक– 14/03/2016

पथ निर्माण विभाग के आदेश संख्या 154 दिनांक 18.06.2015 के क्रम विभागीय आदेश संख्या –1/पी0एम0सी0/विविध/ 879/2012–909 दिनांक 17.12.2015 द्वारा बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम 11(क) (i)–(x) में अंकित कदाचार के लिए कालीकरण के अवधि का निर्धारण किया गया है, परन्तु जिन परिस्थितियों के आलोक में उक्त आदेश निर्गत किया गया, उनका वर्णन नहीं है। उक्त स्थिति में पूर्व निर्गत विभागीय आदेश संख्या –1/पी0एम0सी0/विविध/ 879/2012–909 दिनांक 17.12.2015 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:–

2. बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के कंडिका 11 (क) में निम्न वर्णित कदाचारों हेतु निबंधित ठीकेदारों का नाम काली सूची में डालने/निश्चित अवधि के लिए निलंबित करने अथवा अपने श्रेणी के नीचे के श्रेणी में पदानवत करने का प्रावधान है:–

(i) संबद्ध विभाग के किसी पदाधिकारी या कर्मचारी के साथ अनुशासनहीनता का व्यवहार ।

(ii) एकरानामा एवं विहित विनिर्देश के अनुसार कार्य निष्पादन में चूक ।

(iii) निविदा कागजातों की प्राप्तियां, निविदा कागजातों का प्रस्तुतीकरण या उससे संबद्ध कोई कार्य करते समय सरकारी कार्यालय में विधि व्यवस्था की समस्या पैदा करने के लिये ।

(iv) ठीकेदार द्वारा अपना कार्य किसी दूसरे ठीकेदार अथवा किसी व्यक्ति को बिना विभागीय आदेश के सौपने पर (सबलेटिंग) ।

(v) संबद्ध पदाधिकारी या कर्मचारी को अभित्रासित करने या उनपर हमला करने के लिये ।

(vi) ठीकेदार द्वारा सरकारी सामान जैसे सिमेंट, स्टील एवं अलकतरा इत्यादि बेचते हुए पाये जाने पर ।

(vii) ठीकेदार द्वारा निविदा प्राप्त करने के लिए गलत अग्रधन या प्रतिभूति राशि एवं गलत कागजात समर्पित करने पर ।

(viii) एक से अधिक बार कार्य आबंटित होने पर निश्चित अवधि तक एकरारनामा नहीं करना ।

(ix) किसी अपराधिक गतिविधि में सजायफ्ता होने पर ।

(x) सोची–समझी साजिश के तहत् संघ/ समूह (Cartel) बनाकर निविदा में भाग लेना/ बहिष्कार करना ।

3. नियमावली में उपबंधित उक्त कदाचारों में मापदंड का उल्लेख नहीं रहने से तदनुसार दंड निर्धारण में एकरूपता रखने में कठिनाई होती है। इसी प्रकार योजनाओं के कार्यान्वयन/निविदा निस्तार के दौरान Non-Performance, inordinate delay in completion of work, litigation history, टेन्डर प्राप्त करने हेतु False or fake qualification papers संलग्न किये जाने इत्यादि की घटनायें होती हैं, परन्तु इनके लिए दंड की अवधि एवं स्वरूप का निर्धारण नहीं है।

4. बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम–11(क) में संवेदकों को कालीकृत, निलम्बित या पदावनत किये जाने का प्रावधान है। इसके आलोक में कई संवेदकों को कालीकृत किया गया है जो न्यायालय के शरण में गये है।

5. सूरज निर्माण प्रा0 लि0 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय में दायर बाद संख्या Civil Appeal No.10007 of 2014[Arising out of SLP(c) of 2012]में पारित न्यायादेश का कार्यशील अंश निम्नवत् है:–

5.1 In the circumstances, therefore, and keeping in view the decision of the court in M/s Kulja Industries case (surpa) we allow this appeal but only in part and to the extent that while the black listing order shall stand affirmed, the competent authority shall consider and pass appropriate orders determining the period for which such blacklisting shall remain operative. We permit the appellant-company to make any further representation to the competent authority in regard to the period for which the blacklisting may be ordered within six weeks from today. The Competent authority shall pass appropriate

orders on the subject expeditiously but as far as possible within a period of six months from the date the appellant files its objections. The competent authority shall while passing the order keep the observations made by this court in M/s Kulja Industries case (supra). No costs.

6. M/s Kulja Industries Limited Vs. Chief General Manager W.T. Proj. BSNL & Ors. में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04.10.2013 को पारित आदेश का कार्यशील अंश निम्नवत् है:–

6.1 The next question then is whether this Court ought to itself determine the time period for which the appellant should be blacklisted or remit the matter back to the authority to do so having regard to the attendant facts and circumstances. A remand back to the competent authority has appealed to us to be a more appropriate option than an order by which may ourselves determine the period for which the appellant would remain blacklisted. We say so for two precise reasons. Firstly, beacause blacklisting is in the nature of penalty the quantum whereof is a matter that rests primarily with the authority competent to impose the same. In the realm of service jurisprudence this Court has no doubt cut short the agony of a delinquent employee in exceptional circumstances to prevent delay and further litigation by modifying the quantum of punishment but such considerations do not apply to a company engaged in a lucrative business like supply of optimal fibre/HDPE pipes to BSNL. Secondly, because while determing the period for which the blacklisitng should be effective the respondent Corporation may for the sake of objectivity and transparancy formulate broad guidelines to be followed in such cases. Different periods of debarment depending upon the gravity of the offences, violations and breaches may be prescribed by such guidelines. While. it may not be possible to exhaustively enumerate all types of offences and acts of misdemeanour, or violations of contractual obligations by a contractor, the respondent-Corporation may do so as far as possible to reduce if not totally eliminate arbitrariness in the exercise of the power vested in it and inspire confidence in the fairness of the order which the competnet authority may pass against a defaulting contractor.

6.2 In the result, we allow this appeal, set aside the order passed by the High Court and allow writ petition No.2289 of 2011 filed by the appellant but only to the extent that while the order blacklisting the appellant shall stand affirmed, the period for which such order remains operative shall be determined afresh by the competent authority on the basis of guidelines which the Corporation may formulate for that purpose. The needful shall be done by the Corporation and/ or the competent authority expeditiously but not later than six months from today. The parties are left to bear their own costs.

7. पथ निर्माण विभाग (नोडल विभाग) के पत्रांक–4104(ई0) दिनांक 28.10.2009 द्वारा यह दिशा निर्देश है कि बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम–11(क) में उपबंधित कदाचार के किन–किन मामलों में संवेदकों को कालीसूची में डाला जायेगा, परन्तु कालीसूची में डाले जाने की अवधि निर्धारित नहीं है। जबकि M/s Kulja Industries Limited Vs. Chief General Manager W.T. Proj. BSNL & Ors.एवं इसके आलोक में सूरज निर्माण प्रा0 लि0 बनाम बिहार सरकार एवं अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कालीकरण की अवधि निर्धारित करने का निदेश है।

8. बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम–11(क) (ii) में मात्र "एकरारनामा एवं विहित विनिर्देश के अनुसार कार्य निष्पादन में चूक" का उल्लेख है परन्तु कार्य निष्पादन में विभिन्न चूकों को चिन्हित नहीं किया गया है जिसके कारण संवेदक के विरूद्ध कार्रवाई में कठिनाई हो रही है।

9. उक्त स्थिति में निदेशानुसार सम्यक् विचारोपरान्त पथ निर्माण विभाग के आदेश संख्या 154 दिनांक 18.06.2015 में प्रावधानित बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 में अंकित कदाचार के

लिए कालीकरण के निर्धारित अवधि के अनुरूप जल संसाधन विभाग में निबंधित ठीकेदारों के लिए दंड की अवधि का निम्नवत निर्धारण किया जाता है:–

| क्रमांक | कदाचार | कालीकरण / निलंबन की अवधि |
|---|---|---|
| 1 | एकरारनामा एवं विहित विनिर्देश के अनुसार कार्य निष्पादन में चूक। | |
| | (a) कार्य एकरारनामा को Rescind किये जाने पर। | दस वर्षों के लिए कालीकृत |
| | (b) किये गये कार्य की गुणवत्ता असंतोषजनक रहने एवं कार्य एकरारनामा को Rescind किये जाने पर। | पन्द्रह वर्षों के लिए कालीकृत |
| | (c) एकरारनामा के एक से अधिक शर्त्तों (यथा योजना को निर्धारित समय में पूर्ण करने हेतु आवश्यक मशीनरी एवं टेकनीकल पर्सनल की व्यवस्था नहीं किया जाना, योजना कार्य में inordinate delay in completion of work, litigation history इत्यादि ) का उल्लंघन तथा इस संबंध में सूचना एवं चेतावनी देने के बावजूद भी अपेक्षित सुधार नहीं लाने पर। | दस वर्षों के लिए कालीकृत |
| | (d) संवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये अंतरिम अथवा चालू विपत्र में fraud पाये जाने पर। | दस वर्षों के लिए कालीकृत |
| | (e) Defect Liability Period (DLP) में निर्धारित सुधारात्मक कार्यों को नहीं किये जाने पर। | दस वर्षों के लिए कालीकृत |
| | (f) एस0बी0डी0 एकरारनामा के Clauses of contract कंडिका 3(iii) के आलोक में इंजीनियर इंचार्ज के निदेश का संवेदक द्वारा अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में | पॉच वर्षों के लिए कालीकृत |
| 2 | संबद्ध पदाधिकारी या कर्मचारी को अभित्रासित करने या उनपर हमला करने के लिये। | दस वर्षों के लिए कालीकृत |
| 3 | ठीकेदार द्वारा सरकारी सामान जैसे सिमेंट, स्टील एवं अलकतरा इत्यादि बेचते हुए पाये जाने पर। | दस वर्षों के लिए कालीकृत |
| 4 | ठीकेदार द्वारा निविदा प्राप्त किये जाने के लिए गलत अग्रधन या प्रतिपूर्ति राशि एवं गलत कागजात समर्पित करने पर । | दस वर्षों के लिए कालीकृत |
| 5 | एक से अधिक बार कार्य आवंटित होने पर निश्चित अवधि तक एकरारनामा नहीं करना । | दस वर्षों के लिए कालीकृत |
| 6 | किसी अपराधिक गतिविधि में सजायफ्ता होने पर। | दस वर्षों के लिए कालीकृत अथवा न्यायालय द्वारा संसूचित सजा की अवधि तक (जो अधिक हो) |
| 7 | ठीकेदार द्वारा अपना कार्य किसी दूसरे ठीकेदार अथवा किसी व्यक्ति को बिना विभागीय आदेश के सौंपने पर (सबलेटिंग) | पॉच वर्षों के लिए कालीकृत |
| 8 | एक से अधिक उक्त उपबंधित कदाचारों अथवा ठीकेदारी नियमावली 2007 में अंकित अन्य कदाचारों में संलिप्त पाये जाने पर। | पन्द्रह वर्षों के लिए कालीकृत |

10. उक्त सारणी में वर्णित दंडों के निर्धारण के पूर्व बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 में निर्धारित प्रकिया का अनुपालन एवं गुण दोष की समीक्षा अनिवार्य होगी।
11. यह आदेश पूर्व निर्गत विभागीय आदेश संख्या –1 / पी0एम0सी0 / विविध / 879 / 2012–909 दिनांक 17.12.2015 का प्रतिस्थानी आदेश है।
12. उक्त प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

14.3.16

(योगेश्वरधारी सिंह)
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)

ज्ञापांक–1/पी0एम0सी0/विविध/879/2012–201 /पटना, दिनांक– 14/03/2016

प्रतिलिपि अभियंता प्रमुख (दक्षिण)/ अभियंता प्रमुख (उत्तर)/ अपर सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना/ विशेष कार्य पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग/ संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)/ संयुक्त सचिव (प्रबंधन)/ सभी मुख्य अभियंता, (यॉत्रिक सहित) जल संसाधन, बिहार/ निदेशक, वाल्मी/संयुक्त निदेशक, एफ0एम0आई0एस0सी0/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1/2/3/4 एवं अधीक्षण अभियंता, बाढ़ मोनिटरिंग अंचल/अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता अंचल/ उप सचिव, काडा/आई0टी0 मैनेजर, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.3.16

(योगेश्वरधारी सिंह)
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)

ज्ञापांक–1/पी0एम0सी0/विविध/879/2012–201 /पटना, दिनांक– 14/03/2016

प्रतिलिपि माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के निजी सहायक को सूचनार्थ समर्पित।

14.3.16

(योगेश्वरधारी सिंह)
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)